तक 49.57 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया गया बताया जाता है। वसूली अभियान 14 अप्रैल, 1984 को शुरू किया गया था और वह अभी भी चल रहा है। गेहूं की वसूली करने के लिए विपणन मौसम मार्च, 1985 के अन्त तक जारी रहेगा।

(ख) इस मौसम में अब तक पिछले मौसम की उसी अवधि की तुलना में कम वसूली हुई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। यह सूचित किया गया है कि वसूली में यह कमी अंशतः कुछेक जिलों में कम उत्पादन होने और अंशतः गेहूं की कुछ मात्रा को सीमावर्ती जिलो से पड़ौसी राज्य की मंडियों को लेजाने के कारण हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा

1083. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिये जाने के बाद वर्षों तक उनको मुआवजा अदा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास विकास प्राधिकरण ने कितने किसानों को उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजा अदा किया और कितने किसानों को अभी भी मुआवजा अदा किया जाना है तथा इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि के भूतपूर्व मालिकों को मुआवजे के भुगतान से दिल्ली विकास प्राधिकरण सीधे ती संबंधित नहीं है। मुआवजे का भुगतान, दिल्ली प्रशासन के उपायुक्त के कार्यालय में भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित मामलों में मुआवजा बिना भुगतान के पड़ा हुआ है:—

(i) जहां संबंधित व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करने के लिए नहीं आये।

(ii) जहां मुआवजे के भुगतान के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए हैं।

(iii) जहां मुआवजा विवादाग्रस्त है; या

(iv) जहां अधिग्रहीत भूमि सौंपी नहीं गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा 5296 किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरन 3305 मामलों/मदों के बारे में निर्धारित मुआवजा अवितरित पड़ा हुआ है।

Dams over River Kosi, Kamala and Bagmati

1084. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :